प्रेषक,

मुख्य शिक्षा अधिकारी,
पिथौरागढ़।

सेवा में,

मुख्य कोषाधिकारी,
पिथौरागढ़।

पत्रांक/नियोजन/ 15896-99 /अ0उ0वि0/सी.बी.एस.ई./2025-26 दिनांक 16.03.2026

विषय— राजकीय माध्यमिक विद्यालय योजनान्तर्गत अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के मानक मद 22—कार्यालय व्यय मद में स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक/अर्थ—5क—01/(03)/207079/2025—26 दिनांक 03 सितम्बर 2025 द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालय योजनान्तर्गत अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के सी.बी.एस.ई. मान्यता नवीनीकरण हेतु मानक मद 22—कार्यालय व्यय मद में रू0 40,000/— प्रति विद्यालय के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ हेतु कुल 08 विद्यालयों के लिए रू0 3,20,000/— धनराशि स्वीकृत की गई है।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक/अ0उ0/तीन(च)19/1747—50/सी.बी.एस.ई. सम्बद्धता/2025—26 दिनांक 11 जून 2025 द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में संबंधित विद्यालयों द्वारा सी.बी.एस.ई. मान्यता नवीनीकरण का कार्य छात्रनिधियों से ऋण लेकर पूर्ण कर लिया गया है, निदेशक महोदय के उक्त पत्र में बजट प्राप्त होने पर उक्त धनराशि का समयोजन कर लिए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। **(निदेशालय के उक्त पत्र की प्रति संलग्न)**

चूंकि विद्यालयों द्वारा पूर्व में दिए निदेशों के अनुपालन में सी.बी.एस.ई. मान्यता नवीनीकरण की कार्यवाही छात्रनिधियों से ऋण लेकर पूर्ण कर ली गई है अतः उक्त आवंटित बजट से विद्यालयों को सी.बी.एस.ई. मान्यता नवीनीकरण मदों हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की जानी है।

अतः अनुरोध है कि उक्त आवंटित बजट संबंधित प्रधानाचार्य खातों में हस्तान्तरित किए जाने के सम्बन्ध में संबंधित उपकोषाधिकारियों को अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करेंगे।

संलग्नक — यथोपरि।

भवदीय,

(तरुण कुमार पन्त)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
पिथौरागढ़।

पृ0सं0/नियोजन/ /अ0उ0वि0/सी.बी.एस.ई/2025—26 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि— निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सादर सूचनार्थ।
02. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
03. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा, पिथौरागढ़।
04. कार्यालय सुरक्षित पत्रावली।

मुख्य शिक्षा अधिकारी
पिथौरागढ।

Scanned with OKEN Scanner

आ०का० को

[signature] 11.06.2025

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

समयबद्ध/शीर्ष प्राथमिकता।

समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक/अ0उ0/तीन(च)19/ 1747-50 /सी.बी.एस.ई.सम्बद्धता/2025-26 दिनांक 11 जून,2025

विषय— अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की सी.बी.एस.ई. सम्बद्धता (मान्यता) नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संज्ञान में आया है कि प्रदेश के अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की सी0बी0एस0ई0 सम्बद्धता (मान्यता) माह जून, 2025 में समाप्त हो रही है, इस सम्बन्ध में कतिपय अटल उत्कृष्ट विद्यालयों द्वारा पत्राचार के माध्यम से भी अवगत कराया गया है।

सूच्य है कि निदेशालय के पत्रांक/सेवायें-2/ सेवा0अराज0/ तीन-च/ 02/575/अ0उ0/2025-26 दिनांक 22-04-2025 के द्वारा समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जनपदान्तर्गत संचालित राजकीय अटल उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालयों की सी0बी0एस0ई0 से सम्बद्धता नवीनीकरण हेतु प्रति विद्यालय की दर से अनुमानित व्यय विवरण निदेशालय को उपलब्ध करायें किन्तु अद्यतन अनुमानित व्यय विवरण निदेशालय को अप्राप्त है यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है।

जनपदों से अनुमानित व्यय विवरण प्राप्त न होने से वर्तमान में निदेशालय स्तर से धनराशि आवंटित की जानी सम्भव नहीं है। अतः प्रकरण की तात्कालिकता के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि जनपद में संचालित समस्त अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को तत्काल निर्देशित करें कि विद्यालय में उपलब्ध किसी निधि से ऋण लेकर सी0बी0एस0ई0 नवीनीकरण हेतु तत्काल अग्रेत्तर कार्यवाही करें, धनराशि आवंटित होने पर उक्त ऋण का समायोजन सम्बन्धित निधि में किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया जाता है कि सी0बी0एस0ई0 से सम्बद्धता (मान्यता) नवीनीकरण होने के उपरान्त कुल नवीनीकरण राशि का बजट मांग पत्र तत्काल निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सी0बी0एस0ई0 से समयान्तर्गत नवीनीकरण न होने की स्थिति में सम्बन्धित प्रधानाचार्य पूर्णरूप से उत्तरदायी होगें।

भवदीय

[signature] 11.6.25
डॉ0(मुकुल कुमार सती)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/अ0उ0/तीन(च)19/ 1747-50 /सी.बी.एस.ई.सम्बद्धता/2025-26 दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषितः—

1. अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
2. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त प्रधानाचार्य, अटल उत्कृष्ट राजकीय माध्यमिक विद्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त निर्देशों के अनुरूप तत्काल अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

[signature] 11.6.25
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

Scanned with OKEN Scanner